

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 895

दिनांक 07.02.2022 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए विशेष योजना

895. श्री किशन कपूर:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या परंपरागत रूप से घने वन क्षेत्र वाले हिमाचल प्रदेश सहित पश्चिमी हिमालयी राज्यों में घने वन क्षेत्र में कमी आ रही है जिसके परिणामस्वरूप इन राज्यों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव भी दिखाई दे रहे हैं; और
- (ख) क्या सरकार का उक्त राज्यों में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए कोई विशेष योजना शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

- (क) भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2021 के अनुसार, आईएसएफआर 2019 आकलन के संबंध के हिमाचल प्रदेश में घने वनों में 24 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है। हालांकि अन्य तीन पश्चिमी हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात् उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के घने वनों में क्रमशः 29 वर्ग किमी., 97 वर्ग किमी. और 10 वर्ग किमी. की कमी हुई है। भारी वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव, अपवाह और संबंधित प्रभाव हो सकते हैं। जहां पर्याप्त वृक्षावरण होते हैं, वहां ऐसे प्रभाव कम होते हैं। हालांकि ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं, ऐसी सभी स्थितियों के लिए जलवायु परिवर्तन को कारक नहीं ठहरा सकते हैं। इन परिवर्तनों के लिए विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए कारक निर्धारित करने वाला विज्ञान कहीं अधिक जटिल है और वर्तमान में एक अभिनव विषय है।
- (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र (आईएचआर) में जैव-विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति और एकीकृत प्रबंधन रणनीतियों को विकसित करने के लिए एक केंद्रीकृत एजेंसी के रूप में जी.बी.पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान की स्थापना की है। इसके अलावा, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के तहत एक प्रधान संस्था हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान, भी हिमालयी क्षेत्र में वानिकी अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। मंत्रालय ने, वर्ष 2015-16 में पारिस्थितिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक पूंजीगत संपत्ति और आईएचआर के मूल्यों के निर्वाह और संवर्धन में सहायता करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के रूप में,

राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन प्रारंभ किया। सरकार राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनसीएपी) का कार्यान्वयन विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन पर कार्रवाई करने वाले राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से कर रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के तहत दो मिशन अर्थात्; (i) राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र मिशन (एनएमएसएचई); और (ii) राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन स्ट्रेटिजिक ज्ञान मिशन (एनएमएसकेसीसी) भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के मामलों का समाधान करते हैं। इसके अतिरिक्त, तैंतीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य विशिष्ट विषयों पर विचार करते हुए एनएपीसीसी के अनुरूप जलवायु परिवर्तन पर अपनी राज्य कार्य योजना तैयार की है।
